

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 800/भू अ०

दिनांक : 31/11/20

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-गौरीपुर, थाना-देवघर, थाना सं०-617, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर-मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अधवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- गौरीपुर, थाना-देवघर, थाना सं०-617, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमावेश 0.29 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11	2029	रैयती	बाड़ी-2	0.17	बिमला देवी पति स्व० गुलो राय वो सुमेश्वर राय वो जागेश्वर राय वो रामेश्वर राय पे० स्व० कैसर राय वो रेशमी देवी पति स्व० रामेश्वर राय वो छबीनाथ राय पे० स्व० मुंशी राय वो सावित्री देवी पति स्व० धनेश्वर राय वो खुबलाल राय वो भागीरथ राय माथुर राय पे० स्व० चुरामन राय।				
2	11	2295	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव				
3	15	2296	रैयती	बाड़ी-2	0.11	प्रतिमा देवी पति रोहित दास वो टुनिया देव्या पति स्व० सखी महारा वो कागजी देवी पति स्व० रामदेव दास वो बालदेव दास पे० लालू महारा वो गोविन्द महारा वो सुफलाल दास पे० स्व० अमीन महारा वो महादेव महारा पे० स्व० नगदी महारा वो सुदामा देवी पति स्व० गांगु महारा वो शीतल दास पे० स्व० भुखन महारा वो मंजू देवी पति स्व० मोहन दास।				
कुल रकवा-					0.29					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की


03-11-2017



धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितवद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

Handwritten signature
 जिला भू अर्जन पदाधिकारी
 देवघर
 28/10/17

Handwritten signature
 03-11-2017
 उपर समाहता
 देवघर

Handwritten signature
 3/11/17
 समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
 देवघर।

ज्ञापांक 800 / भू अ0, देवघर, दिनांक 3/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

Handwritten signature
 जिला भू अर्जन पदाधिकारी
 देवघर
 28/10/17

Handwritten signature
 03-11-2017
 उपर समाहता
 देवघर

Handwritten signature
 3/11/17
 समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
 देवघर।